

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2025—पौष 13, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह कि मैं, लटूरचन्द रघुवंशी (Latoorchand Raghuwanshi) पुत्र श्री हिन्दूसिंह रघुवंशी (Hindu Singh Raghuwanshi) निवासी—ग्राम संदोह, तहसील नई सराय, जिला अशोक नगर (म.प्र.). पूर्व में मेरा नाम लटूरचन्द उर्फ किशन सिंह रघुवंशी था लेकिन अब मैंने अपना नाम बदलकर लटूरचन्द रघुवंशी (Latoorchand Raghuwanshi) रख लिया है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम लटूरचन्द रघुवंशी (Latoorchand Raghuwanshi) पुत्र श्री हिन्दूसिंह रघुवंशी (Hindu Singh Raghuwanshi) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(लटूरचन्द्र)

नया नाम

(लटूरचन्द रघुवंशी)

(Latoorchand Raghuwanshi)

पुत्र—श्री हिन्दूसिंह रघुवंशी

(Hindu Singh Raghuwanshi).

(G-01)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद कुमार प्रजापति पुत्र किशन लाल प्रजापति, निवासी—म.नं.—2014/127, कृष्ण कॉलोनी, त्रिमूर्ति नगर, राजीव गांधी वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरे पिता जी का नाम किशन प्रजापति (KISHAN PRAJAPATI) नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम किशन लाल प्रजापति (KISHAN LAL PRAJAPATI) अंकित है जो कि सत्य व सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम विनोद कुमार प्रजापति पुत्र किशन लाल प्रजापति के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(विनोद कुमार प्रजापति)

नया नाम

(विनोद कुमार प्रजापति)

पुत्र—किशन लाल प्रजापति।

(G-02)

नाम परिवर्तन

मैं, शेरु ब्यौहार पिता श्री रामकुमार ब्यौहार निवासी—ग्राम धुरा मा., थाना तहसील व जिला डिण्डोरी (म.प्र.), मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शेरु कुमार ब्यौहार दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम शेरु ब्यौहार पिता श्री रामकुमार ब्यौहार है, जो कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है।

अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम शेरु ब्यौहार पिता श्री रामकुमार ब्यौहार के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (शेरु कुमार ब्यौहार)	नया नाम (शेरु ब्यौहार) (Sheru Beohar)
(G-03)	पिता—श्री रामकुमार ब्यौहार.

CHANGE OF NAME

It is hereby notified to the general public that I am Satish R/o Village-Hiwarkhedi, Post-Garha, Tehsil and District-Betul, State (M.P.). My army service records and documents mentioned my name as Satish. But this is incomplete, my full name is Satish Yadav according to all my Government Documents. Satish and Satish Yadav both are the same person.

After the publication, I should be known, read, heard, understood and recorded of my name as Satish Yadav.

Old Name (Satish)	New Name (Satish Yadav).
(G-04)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्नेह प्रजापति (Sneh Prajapati) पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापति (Mangilal Prajapati) आयु—व्यस्क, निवासी — वार्ड नं. 12, छपीहेड़ा, जिला राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ईशु प्रजापति (Eshu Prajapati) पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापति (Mangilal Prajapati) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम स्नेह प्रजापति (Sneh Prajapati) पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापति (Mangilal Prajapati) है, मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मुझे स्नेह प्रजापति (Sneh Prajapati) पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापति (Mangilal Prajapati) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम (ईशु प्रजापति) (Eshu Prajapati)	नया नाम (स्नेह प्रजापति) (Sneh Prajapati)
(G-05)	पुत्र—श्री मांगीलाल प्रजापति (Mangilal Prajapati).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिल बाथम (Anil Batham) पुत्र स्व. श्री बी.के. बाथम (B.K. Batham) मेरा पुत्र अविश बाथम (Avish Batham) जिसका पूर्व नाम आराध्य बाथम (Aradhya Batham) पुत्र श्री अनिल बाथम (Anil Batham) है, आधार कार्ड में यही नाम अंकित है।

प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अविश बाथम (Avish Batham) पुत्र श्री अनिल बाथम (Anil Batham) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

आवेदक

(अनिल बाथम)

(Anil Batham)

पता—म.नं. 391, सी—सेक्टर, कोलार रोड,

सर्वधर्म कॉलोनी, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-06)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम संजय कुमार शर्मा था, जिसमें अब बदलाव करके संजय शर्मा कर लिया है। अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे बदले हुए नाम संजय शर्मा से ही लिखा—पढ़ा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(संजय कुमार शर्मा)

(संजय शर्मा)

(G-07)

पता – 76, हाई लिंक एक्सटेंशन,
छोटा बांगड़ा, एअरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रशिदा बाम्बेवाला है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम फिरदोस रशिदा बाम्बेवाला/फिरदोस रशिदा लिखा हुआ है, अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम रशिदा बाम्बेवाला ही लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(फिरदोस रशिदा बाम्बेवाला/
फिरदोस रशिदा)

(रशिदा बाम्बेवाला)

पति सिराज बाम्बेवाला

(G-08)

पता – R/42 खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I hereby declare that, my correct name is Sarla Mittal but in some of my documents (share certificate) my name was written as Sarladevi Mittal. So I want to correct it from Sarladevi Mittal to Sarla Mittal. Henceforth my name shall be read and written as Sarla Mittal for all purposes.

Old Name

New Name

(Sarladevi Mittal)

(Sarla Mittal)

(G-09)

Add.-35, Patni Bazar,
Jawahar Marg, Ujjain (M.P.).

CHANGE OF NAME

I hereby declare that, my correct name is Padmashri Makarand Tapaswi but in some of my documents (share certificate) my Name's spelling was written as Padmshri Japaswi. In which my middle name is missing and spelling is also written wrong. Henceforth my name shall be read and written as Padmashri Makarand Tapaswi for all purposes.

Old Name	New Name
(Padmshri Japaswi)	(Padmashri Makarand Tapaswi)
(G-10)	Add.-94, Jawahar Nagar, Bagiche ke Piche, Rajendra Nagar, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, छोटू कुशवाहा पुत्र श्री नेतराम कुशवाहा पता बम्होरी भूंआरी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड, अंकसूचियों तथा सभी शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में छोटू कुशवाहा दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर प्रकाशन उपरान्त समस्त शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में अजय कुशवाह नाम से जाना पहचाना, पढ़ा लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(छोटू कुशवाहा)	(अजय कुशवाहा)
(G-11)	

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, पता—वार्ड नंबर 2, तलापुरा उदयपुरा, तहसील—उदयपुरा, जिला—रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री अंशी श्रीवास्तव जिसका जन्म प्रमाण—पत्र, अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंशी श्रीवास्तव नाम दर्ज है, जो सही है, जबकि आधार कार्ड तथा अंकसूचियों में जानवी श्रीवास्तव दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अंशी श्रीवास्तव नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(जानवी श्रीवास्तव)	(अंशी श्रीवास्तव)
(G-12)	पिता – अभिषेक श्रीवास्तव।

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश रघुवंशी पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह रघुवंशी, निवासी—मकान नंबर 88, शंकर नगर कॉलोनी, सेमरा गेट, सेमरा सैयद, जिला—भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश क्रतीम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम किशन रघुवंशी (KISHAN RAGHUVANSI) पुत्र मुकेश रघुवंशी दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम किशन रघुवंशी (KISHAN RAGHUVANSI) पुत्र मुकेश रघुवंशी के नाम से जाना पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

प्रार्थी
(मुकेश रघुवंशी)
(G-13)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिकेत खरे पुत्र श्री अखिलेशखरे पता एच.आई.जी.-बी-४०, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड नंबर ५ गौर नगर, मकरोनिया सागर (म.प्र.). मेरी समस्त शैक्षणिक दस्तावेज तथा शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अनिकेत खरे पुत्र अखिलेश खरे तथा मां का नाम गीता खरे दर्ज है, मेरी मां का द्वितीय विवाह श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव के साथ सम्पन्न होने के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित कर समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अनिकेत श्रीवास्तव संरक्षक वीरेन्द्र श्रीवास्तव तथा मां का नाम गीता श्रीवास्तव दर्ज किया जावे तथा भविष्य में मुझे अनिकेत श्रीवास्तव संरक्षक वीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम से जान—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अनिकेत खरे)
(G-14) पुत्र—अखिलेश खरे

नया नाम
(अनिकेत श्रीवास्तव)
संरक्षक—वीरेन्द्र श्रीवास्तव

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s. KAMLA CONSTRUCTION CO. Office-Main Road Obaidulla Ganj, Dist. Raisen (M.P.) Reg. No. 330/92 Date 31 जुलाई 1992 है. दिनांक २ मई २०२४ को श्री जितेन्द्र कुमार मित्तल जी का निधन हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक हुए.

(G-15)

M/s. Kamla Construction
(GAUTAM MITTAL)
भागीदार
Add.- B-230, SHAHPURA, BHOPAL.

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का वर्तमान नाम सार्थक नीमा है जिसमें उप नाम नीमा दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर सार्थक गुप्ता किया जाना है. पुत्र का नाम जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में नाम सार्थक गुप्ता है जो कि पुत्र का वास्तविक नाम है. प्रकाशन उपरांत सार्थक गुप्ता सभी शैक्षणिक, शासकीय—अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा दर्ज किया जाये.

(G-16)

प्रार्थी
(रचना गुप्ता)
निवासी—वार्ड क्रमांक ०८,
जनता कालोनी मंदसौर, तह. जिला मंदसौर.

नाम परिवर्तन

पुष्पा पिता रेवाचंद तनवानी, पति—भजन दास वाधवानी, निवासी शंकर नगर पांडुर्णा (म.प्र.). मेरा नाम विवाह के पूर्व शालेय एवं अन्य अभिलेख में पुष्पा पिता रेवाचंद तनवानी दर्ज रहा है तथा विवाह के पश्चात् मेरा नाम अन्य अभिलेख में आशा पति भजनदास वाधवानी हुआ है तथा वर्तमान में मेरा नाम आशा पति भजन दास वाधवानी आधार कार्ड, मतदाता परिचय—पत्र, समग्र आईडी एवं अन्य दस्तावेज में दर्ज हुआ है परंतु जहां कही मेरा नाम पुष्पा पिता रेवाचंद तनवानी दर्ज चला आ रहा है उसके स्थान पर प्रकाशन उपरांत संपूर्ण दस्तावेजों में आशा पति भजन दास वाधवानी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-17)

पुराना नाम
(पुष्पा)
पिता—रेवाचंद तनवानी

नया नाम
(आशा)
पति—भजन दास वाधवानी.

नाम परिवर्तन

मैं, हर्ष वर्मा (HARSH VERMA) पिता श्री घनश्याम वर्मा, (GHANSHYAM VERMA) पता—गाडन नं. 108 लुनियापुर, महू जिला इन्दौर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे पिता का गलत नाम (GHANSHAYAM) अंकित है जबकि मेरे पिता का सही नाम (GHANSHYAM VERMA) है मेरे पिता का सही नाम घनश्याम वर्मा (GHANSHYAM VERMA) के नाम से जाना जाता है।

प्रार्थी

(हर्ष वर्मा)

(HARSH VERMA)

(G-18)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. ALEGIENT INFRASTRUCTURE फर्म जो COSMO VALLEY, NEAR BOSTON COLLEGE, SIROL ROAD, CITY CENTER, GWALIOR, (M.P.) जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00114/13 एवं दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को पंजीकृत है। इसमें दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को भागीदार श्रीमती श्वेता अग्रवाल पत्नी श्री अरविन्द अग्रवाल निवासी—4, गीता कॉलोनी हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर एवं भागीदार श्रीमती पलक अग्रवाल पत्नी श्री जयदीप अग्रवाल निवासी रामकृष्ण नया बाजार लश्कर ग्वालियर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल निवासी 4, गीता कॉलोनी हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर एवं श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल निवासी—रामकृष्ण नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये हैं।

M/s. ALEGIENT INFRASTRUCTURE

(अरविन्द अग्रवाल)

भागीदार.

(G-19)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स डेविस सर्जिको जो गिर्जा मार्केट, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00039/09 दिनांक 29 जून 2009 है। जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2018 को भागीदार श्रीमती अमोद पालो पत्नी श्री के.सी. पालो निवासी—4—ए, नीलगिरी—3, नोएडा (उ.प्र.) को सभी भागीदारों की सहमति से फर्म से पृथक् किया जाता है।

M/s. DEVIS SERGICO

(संजय सासोडे)

भागीदार

पता—गिर्जा मार्केट, लोहिया बाजार,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-20)

नाम परिवर्तन

मैं, अमीना (AMEENA) पत्नी इशाकखां सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कामना (KAMNA) था जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं अमीना पत्नी इशाकखां के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ मेरे शासकीय दस्तावेज एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है अमीना एवं कामना दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कामना के स्थान पर अमीना लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(कामना)

नया नाम

(अमीना)

पत्नी—इशाकखां

(G-21)

पता : लखमीपुर शताब्दिपुरम, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, यशवंत सिंह (YASHWANT SINGH) पुत्र श्री मनोहर सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व का नाम कान्हा (KANHA) था जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र को सार्थक सिंह (SARTHAK SINGH) पुत्र श्री यशवंत सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता है जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र में लिखा गया है। कान्हा एवं सार्थक सिंह दोनों मेरे पुत्र के ही नाम हैं। अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में पुत्र का नाम कान्हा के स्थान पर सार्थक सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

प्रार्थी

(यशवंत सिंह)

पता—न्यू वर्कील कॉलोनी अवाडपुरा, गिर्द,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-22)

नाम परिवर्तन

मैं, अवंतिका वासवानी (AVANTIKA VASWANT) पत्नी श्री संजय वासवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम हिना वासवानी एवं हिना पुरुषवानी पिता श्री विशंभर पुरुषवानी (HINA VASWANI AND HINA PURSWANI) था जो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट, पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान मैं अवंतिका वासवानी पत्नी श्री संजय वासवानी के नाम से जानी पहचानी जाती हूँ। जो मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अवंतिका वासवानी और हिना वासवानी एवं हिना पुरुषवानी तीनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे मैरिज सर्टिफिकेट, पॉलिसी में एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हिना वासवानी एवं हिना पुरुषवानी के स्थान पर अवंतिका वासवानी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(हिना वासवानी एवं हिना पुरुषवानी)

(G-23)

नया नाम

(अवंतिका वासवानी)

पत्नी श्री संजय वासवानी

पता — जी-604, सनवेली ऑफिस के पास,
सिटी सेंटर एक्सटेन्शन, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बासुदेव (BASUDEV) पुत्र कालीचरण सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रोविन सिंह (ROVIN SINGH) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान मैं मैं बासुदेव पुत्र कालीचरण के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। बासुदेव एवं रोविन सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रोविन सिंह के स्थान पर बासुदेव लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(रोविन सिंह)

(G-24)

नया नाम

(बासुदेव)

पुत्र—कालीचरण

पता — 94, रवीन्द्र नगर अधारताल,
जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव (GAURAV) पुत्र राकेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम अमित (AMIT) था जो मेरे आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान मैं मैं गौरव पुत्र राकेश के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। गौरव एवं अमित दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम अमित के स्थान पर गौरव लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(अमित)

(G-25)

नया नाम

(गौरव)

पुत्र—राकेश

पता — ग्राम नरेश्वर, पिपरसेवा,
मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सोनी (SONY) पत्नी श्री मलखान सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रीता देवी (REETA DEVI) था, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, सोनी पत्नी मलखान सिंह के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. सोनी एवं रीता देवी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रीता देवी के स्थान पर सोनी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम (रीता देवी)	नया नाम (सोनी) पत्नी—मलखान सिंह
-------------------------------	---

पता — पोस्ट बजाई, ग्राम बजाई, भिंड (म.प्र.).

(G-26)

मैं, कल्याणी बाई सेन पत्नी स्व. बाबूलाल सेन निवासी म.नं. 21, पंचशील नगर, भोपाल सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी में मेरा नाम दर्ज है जो कि गलत है. मेरा सही नाम कल्याणी बाई सेन (KALYANI BAI SEN) है. जो प्रकाशन उपरांत लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.	प्रार्थी (कल्याणी बाई सेन)
---	-------------------------------

(G-27)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मैं, श्रीमती कान्ता दिसोरिया पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण दिसोरिया मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. अरुणा पुत्री स्व. श्री भास्कर राव, जो मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जबकि वर्तमान में मैं, श्रीमती कान्ता दिसोरिया पत्नी स्व. श्री लक्ष्मी नारायण दिसोरिया के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. श्रीमती अरुणा दिसोरिया, श्रीमती कान्ता बाई दिसोरिया एवं श्रीमती कान्ता दिसोरिया तीनों मेरे ही नाम हैं, अतः मेरे शासकीय—अशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती अरुणा दिसोरिया, श्रीमती कान्ता बाई दिसोरिया के स्थान पर श्रीमती कान्ता दिसोरिया लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम (अरुणा दिसोरिया एवं कान्ता बाई दिसोरिया).	नया नाम (कान्ता दिसोरिया) पत्नी — स्व. श्री लक्ष्मी नारायण दिसोरिया
--	---

पता — एच 98/13, नूतन मार्केट तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-28)

नाम परिवर्तन

मैं, हबला मंडलोई पुत्र स्व. श्री कंदुडिया मंडलोई, निवासी—मुजाल्दा फलिया, ग्राम—अंधारकांच, कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर, (म.प्र.), कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम हबला के स्थान पर त्रुटिवश अवला दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड और जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम हबला मंडलोई पुत्र स्व. श्री कंदुडिया मंडलोई दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय—अर्द्धशासकीय—व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम हबला मंडलोई पुत्र स्व. श्री कंदुडिया मंडलोई के नाम से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम (अवला)	नया नाम (हबला मंडलोई) पुत्र—स्व. श्री कंदुडिया मंडलोई.
--------------------------	--

(G-29)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू विश्वकर्मा, पिता प्रताप सिंह उर्फ प्रताप विश्वकर्मा, पता—६४, सी—ब्लॉक, शारदा नगर, नारियल खेड़ा, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम प्रताप सिंह और प्रताप विश्वकर्मा है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मुझे राजू विश्वकर्मा पिता स्व. प्रताप सिंह विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना व दर्ज किया जाये।

<p>पुराना नाम (राजू विश्वकर्मा)</p> <p>(G-30)</p>	<p>नया नाम (राजू विश्वकर्मा) पिता—स्व. प्रताप सिंह विश्वकर्मा।</p>
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, कविता लाहोरिया (Kavita Lahoriya) पति विजय कुमार (Vijay Kumar) निवासी—प्लाट नं. ४८, नेशनल हाउसिंग सोसायटी रामपुर, छापर, जिला व तह. जबलपुर (म.प्र.). मेरे पति विजय कुमार पिता स्व. चरनदास के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कविता त्रुटिवश लिखा गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम कविता लाहोरिया (Kavita Lahoriya) पति विजय कुमार (Vijay Kumar) है। जो मेरे समस्त रिकार्ड आधारकार्ड, पेन कार्ड में दर्ज है। यह दोनों नाम एक ही महिला के हैं। प्रकाशन उपरांत सही नाम कविता लाहोरिया (Kavita Lahoriya) पति विजय कुमार (Vijay Kumar) के नाम से लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

<p>पुराना नाम (कविता) (Kavita)</p> <p>(G-31)</p>	<p>नया नाम (कविता लाहोरिया) पति — विजय कुमार (Kavita Lahoriya W/o Vijay Kumar)</p>
--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सोनिया दत्ता (Sonoya Dutta) पत्नी श्री अंकुर कुमार दत्ता (Ankur Kumar Dutta), निवासी—म.नं. ११, जिंसी चर्च रोड, रमेश भवन जहाँगीराबाद, तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती सोनिया दत्ता (Sonoya Datta) पत्नी श्री अंकुर दत्ता (Ankur Dutta) अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। मेरा सही नाम श्रीमती सोनिया दत्ता (Sonoya Dutta) पत्नी श्री अंकुर कुमार दत्ता (Ankur Kumar Dutta) है। मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती सोनिया दत्ता (Sonoya Dutta) पत्नी श्री अंकुर कुमार दत्ता (Ankur Kumar Dutta) के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

<p>पुराना नाम (सोनिया दत्ता) (Sonoya Datta)</p> <p>(G-32)</p>	<p>नया नाम (सोनिया दत्ता) (Sonoya Dutta) पत्नी श्री अंकुर कुमार दत्ता (Ankur Kumar Dutta)</p>
---	---

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल गौड़ निवासी— एफ—५, राजेन्द्र प्रसाद कॉलोनी, तानसेन रोड, ग्वालियर। मेरी पुत्री का पूर्व नाम परी गौड़ है जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है। मेरे द्वारा पुत्री का नाम परिवर्तित कर आराधना गौड़ कर लिया है। प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जाना पहचाना लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

<p>प्रार्थी (डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार गौड़) पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल गौड़</p> <p>(G-33)</p>
--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिचय पत्र में मेरा नाम बी.पी.एस. ठाकुर (B.P.S. THAKUR) पिता श्री रघुवीर प्रसाद ठाकुर (RAGHUVEEER PRASAD THAKUR) दर्ज है तथा मेरे पी.पी.ओ. में मेरा नाम भगवान प्रसाद ठाकुर (BHAGWAN PRASAD THAKUR) पिता रघुवीर प्रसाद ठाकुर (RAGHUVEEER PRASAD THAKUR) दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में अपना सही नाम भगवान प्रसाद ठाकुर (BHAGWAN PRASAD THAKUR) पिता श्री रघुवीर प्रसाद ठाकुर (RAGHUVEEER PRASAD THAKUR) लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(बी.पी.एस. ठाकुर)
(B.P.S. THAKUR)

(G-34)

नया नाम
(भगवान प्रसाद ठाकुर)
(BHAGWAN PRASAD THAKUR)
S/o रघुवीर प्रसाद ठाकुर
(RAGHUVEEER PRASAD THAKUR)

पुराना नाम
(सपना पंवार)
(Sapna Pawar)

(G-35)

नाम परिवर्तन

नाम परिवर्तन

नाम परिवर्तन

पता—25 ग्राम रायपुर, पोस्ट—अनादर, जिला धार।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सपना पंवार था जो कि अब बदलकर विष्णु लोधा पिता प्रकाश लोधा हो गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्रार्थी
(सोहन छावडी)

(G-36)

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम लवदिप जोगी, (Lovedeep Jogi) था। प्रकाशन उपरांत नाम परिवर्तन कर मेरे पुत्र को लवदिप छावडी, (Lovedeep Chhawdi) निवासी : टोपाज़—116, पृथ्वी इन्क्लेव सिल्वर स्प्रिंग टाउनशीप फेस—2, ए.बी. बाय पास रोड, मुंडला नायता जिला इन्दौर (म.प्र.). के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा।

प्रार्थी
(सोहन छावडी)

(G-37)

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम नवजोत जोगी, (Navjot Jogi) था। प्रकाशन उपरांत नाम परिवर्तन कर मेरे पुत्र को नवजोत छावडी, (Navjot Chhawdi) निवासी : टोपाज़—116, पृथ्वी इन्क्लेव सिल्वर स्प्रिंग टाउनशीप फेस—2, ए.बी. बाय पास रोड, मुंडला नायता जिला इन्दौर (म.प्र.). के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा।

प्रार्थी
(अजीमा रहमान खान)

(G-38)

मैं, अजीमा रहमान खान पुत्री श्री अब्दुल रहमान खान पता—9 बी अंसल्य पेरामाउंट बिला, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.). यह कि पूर्व में मेरा नाम मेहविश रहमान खान (MEHWISH RAHMAN KHAN) था जो बदलकर अजीमा रहमान खान (AZEEMA RAHMAN KHAN) हो गया है। अतः भविष्य में अब मुझे मेरे नये नाम अजीमा रहमान खान के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

PUBLIC NOTICE**(NOTICE U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT)**

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 17th March 2020 (1) Mr. Milan Patel was admitted into the partnership of the mentioned firm Praful Paints and Chemical Products, Plot No. 16 Sector D-1, Sanwer Road, Industrial Estate, Indore (M.P.) 452003 and with effect from 17th March 2020 (1) Mr. Devendra Kumar Mungra was retired due to death from the partnership of the mentioned firm Praful Paints and Chemical Products, Plot No. 16 Sector D-1, Sanwer Road, Industrial Estate, Indore (M.P.) 452003 with effect from 17th March 2020. Now (1) Mr. Milan Patel (2) Mr. Praful Patel (3) Mr. Dilip Patel (4) Mr. Rasik Patel (5) Mr. Tulsidas Mungra are working partners of the firm.

For – Praful Paints and Chemicals Products

(Dilip Patel)

(G-39)

(Partner).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s. INNOVATIVE TECHNOLOGIES, C/80-G.F. TRUPATI ABHINAV HOMES COLONY, VILLAGE-DAMKHED BHOPAL. REG NO. 01/01/01/0150/18 Date 7 अगस्त 2018 (M.P.) 462001 भागीदारी फर्म में दिनांक 18 जून 2018 को श्री रविन्द्र तिवारी पुत्र श्री के. के. तिवारी, निवासी—म.नं. 127/ए, दुर्गेश विहार कॉलोनी, जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.) एवं श्रीमती सोमिल तिवारी पत्नी श्री अमित तिवारी, निवासी म.नं. 127/ए, दुर्गेश विहार कॉलोनी, जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.) के मध्य निष्पादित की गयी थी, जिसे दिनांक 30 दिसम्बर 2024 को भंग कर दिया गया है।

M/s. INNOVATIVE TECHNOLOGIES

(RAVINDRA TIWARI)

(Partner)

(G-40)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s. AMMAAR ENTERPRISES पता— 03, Lake View Colony, Kohefiza, Bhopal Reg. No. 01/01/01/0165/16 Date 23 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 6 नवम्बर 2024 को Mr. Ahmed Rasul S/o Mohammad Husain Aged about 53 years R/o, Gaphur Khan ki Bazariya, Indore (M.P.) भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया। दिनांक 6 नवम्बर 2024 को Mr. Mohammed Athar Khan S/o Mr. Mohammad Muqtada Khan, aged about 60 years R/o 03, Lake View Colony, Kohefiza, Bhopal (M.P.) एवं Mrs. Sarah Khan W/o Mr. Mohammad Akhtar Khan, aged about 53 years R/o 03, Lake View Colony, Kohefiza, Bhopal (M.P.) भागीदारी फर्म से पृथक् हुए।

M/s. AMMAAR ENTERPRISES

(Syed Afzal Mohammad)

(Partner).

(G-41)

नाम परिवर्तन

मैं, विष्णु प्रसाद आत्मज श्री दिनेश सिंह निवासी—श्याम नगर, पोस्ट—गोले का मंदिर, बाहोदापुर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार में मेरा नाम भानसिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत विष्णु प्रसाद आत्मज श्री दिनेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये. मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-42)

(विष्णु प्रसाद)

नाम परिवर्तन

मैं, धरमवीर सिंह आत्मज श्री गिरराज सिंह, निवासी—पिपरझरी, किरनापुर, बालाघाट, तहसील—किरनापुर (म.प्र.). मेरे पूर्व में नाम राहुल गुर्जर पुत्र श्री गिरराज सिंह था. प्रकाशन उपरांत धरमवीर सिंह आत्मज श्री गिरराज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये. समस्त दस्तावेजों में यही नाम लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-43)

(धरमवीर सिंह)

नाम परिवर्तन

मैं, जोगेन्द्र सिंह, आत्मज श्री रामप्रकाश सिंह, निवासी—बम्बा देवी, शीतला माई, धमापुरा वार्ड—45, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार में मेरा नाम विष्णु शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश सिंह अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत जोगेन्द्र सिंह आत्मज श्री रामप्रकाश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये. मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-44)

(जोगेन्द्र सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अर्थव सिंह भदौरिया (ARTHAV SINGH BHADOURIA) है जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम बदलकर यश प्रताप सिंह भदौरिया (YASH PRATAP SINGH BHADOURIA) रख लिया है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों एवं उसके उपरोक्त आधार कार्ड में उसका नाम यश प्रताप सिंह भदौरिया (YASH PRATAP SINGH BHADOURIA) के नाम से जाना—पहचाना व पढ़ा—लिखा जावे.

प्रार्थी

(VIPIN SINGH BHADOURIA)

(G-45)

निवासी— रचना नगर, गली नं. 2,
गोले का मंदिर, ग्वालियर.**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम KUNWAR DEVI (कुंवरदेवी) पत्नी LATE GANESH RAM SHARMA है जो कि मेरे पति के पीपीओ में दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम SHRIKUAR SHARMA (श्रीकुअर शर्मा) दर्ज हो गया है, KUNWARDEVI व SHRIKUAR SHARMA दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. प्रकाशन उपरांत मेरे उक्त आधार कार्ड, शासकीय व अन्य समस्त दस्तावेजों में KUNWARDEVI (कुंवरदेवी) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे.

पुराना नाम

(SHRIKUAR SHARMA)

नया नाम

(कुंवरदेवी)

(KUNWARDEVI)

(G-46)

पत्नी – LATE GANESH RAM SHARMA
पता—3, सौरभ बिहार, सूरी नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मुन्नी बाई (MUNNI BAI) है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे पति स्व. श्री लक्ष्मन दास अग्रवाल के पीपीओ में मेरा पूर्व नाम विरमा देवी (VIRMA DEVI) दर्ज है. विरमा देवी एवं मुन्नी बाई मुझ एक ही महिला के नाम हैं, प्रकाशन उपरांत मेरे पति श्री लक्ष्मन दास अग्रवाल के उपरोक्त दस्तावेज एवं मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुन्नी बाई पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विरमा देवी)

(G-47)

नया नाम
(मुन्नी बाई)

पत्नी – स्व. श्री लक्ष्मन दास अग्रवाल
निवासी—श्री जी अपार्टमेंट के सामने, कमाठीपुरा
माधोगंज, लक्ष्मणगढ़, ग्वालियर (म.प्र.).

कार्यालय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

प्ररूप उन्नीस

[नियम 19(13) देखिए]

(धारा 50 की उपधारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना)

क्र.—ग्वा.वि.प्रा.—प्लानिंग—24—13218.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS—04 अर्थात् हवाई अड्डे से शताब्दीपुरम होते हुए साड़ा तक 40 मी. चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क के आसपास योजना ग्राम लखमीपुर, मज़ा, विक्रमपुर, अकबरपुर खालसा, जमाहर, जलालपुर, मालनपुर, गंगापुर, पुरानी छावनी, खेरियाभान, रायरू को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अंतिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप—उन्नीस (क) प्रारूप—उन्नीस (ख) तथा प्रारूप—उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाएं गए कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर
4. नगर निगम, ग्वालियर
5. प्राधिकरण की वेबसाईट <https://gdagwalior.in>

उपरोक्त स्कीम दिनांक 3 जनवरी 2025 से प्रभावशील होगी।

नरोत्तम भार्गव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

(G-48)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएँ

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024

(फार्म—चार)

क्र.—894—री.राऊ—2024.— आवेदक श्री सचिन जैन अध्यक्ष, श्री मुनिसुव्रत स्वामी जैन ट्रस्ट सिलीकॉन सिटी, इंदौर पता—ए—98, सिलीकॉन सिटी, क्लब हाउस के सामने, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस—1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास के सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल — चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	—	श्री मुनिसुव्रत स्वामी जैन ट्रस्ट
पता	—	कार्यालय—ए—98, सिलीकॉन सिटी, क्लब हाउस के सामने, इन्दौर
चल सम्पत्ति	—	11,000/-
अचल सम्पत्ति	—	निरंक

आज दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी।

(G-49)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास आष्टा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

आष्टा दिनांक 6 दिसम्बर 2024

प्रारूप—चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम, 5(1) देखिए]

प्र.क्र.—1—बी—113(1)—2024—2025

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक—263—2024.— यह कि मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पिता स्व. श्री सूरजमल खंडेलवाल, सहायक प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्मीनारायण, ट्रस्टी श्री बद्रीप्रसाद वर्मा, मारतण्डराव पालवे, श्रीमति मानकुंवर अजनोदिया, श्रीमति प्रतिभा नागर, श्री शैलेन्द्र वर्मा, गायत्री परिवार ट्रस्ट कार्यालय 1172/16 भाग—4, खसरा नंबर 400/9 सेमनरी रोड, वार्ड—16, आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के द्वारा मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरथा एवं संपत्ति

के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13 जनवरी 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। मैं, लोक न्यास पंजीयक आष्टा, जिला-सीहोर अपने न्यायालय में दिनांक 13 जनवरी 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूँ।

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता — गायत्री परिवार ट्रस्ट, पता—1172/16, भाग—4, खसरा नंबर 400/9, सेमनरी रोड, वार्ड—16, आष्टा, जिला सीहोर, म.प्र.

संपत्ति का विवरण :— निरंक.

दिनांक :— 6 दिसम्बर 2024

स्थान : आष्टा

(G-50)

स्वाति मिश्रा उपाध्याय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश
ब्यावरा, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

प्रारूप क्र—4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा जिला राजगढ़ के समक्ष

क्रमांक—3139—प्रवाचक—2—2024.— यह कि मुकेश मारू पिता हरी मारू, वार्ड क्रमांक 05 एबी रोड, एमटीएम कान्चेंट एचएस स्कूल प्रभु साई नगर, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). 465674 के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 30 जनवरी 2025 को मेरे न्यायालय में, विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	— मां गंगा मंदिर धार्मिक पारमार्थिक न्यास (ट्रस्ट) लोक न्यास (ट्रस्ट), वार्ड क्रमांक 05, एबी रोड, एमटीएम कान्चेट एचएस स्कूल, प्रभु सांई नगर, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)—465674
चल सम्पत्ति	— 1000/- एक हजार रुपये
अचल सम्पत्ति	— निरंक
स्थान :—	ब्यावरा
दिनांक :—	16 दिसम्बर 2024

(G-51)

गीतांजली शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास, मध्यप्रदेश
क्रमांक—परिसमापन—2024—क्यू देवास, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप—सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मेहदूल	1394/30.1.2014	4562/24.10.2024
2	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बैरागढ़	358/06.09.1980	92/08.01.2024

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्राविष्टियाँ बोगस शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 5 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-52)

धर्मेन्द्र कुमार मालवीय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक—परि.—क्यु.—2024.— उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के समुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अरिहंत आफसेट सह. प्रेस खरगोन	31/11.1.2022	05/22.10.2010	खरगोन	अनिता राठौर सहकारी निरीक्षक
2.	अन्नपूर्णा मायफण्ड साख सह. संस्था मर्या. खरगोन	30/11.1.2022	1873/10.3.2014	खरगोन	अनिता राठौर सहकारी निरीक्षक

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करती हूं कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 से 3:00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गतवर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्राविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-53)

अनिता राठौर, परिसमापक एवं व. सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 5 मई 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक—परि.—क्यु.—2023—05.— उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के समुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकास खण्ड व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	किसान साख सहकारी संस्था मर्या. खरगोन	676/02.05.2023	1874/10.03.2014	खरगोन	रामकन्या खराड़ी उप—अंकेक्षक

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करती हूं कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 से 3:00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गतवर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्राविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 05 मई 2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-54)

रामकन्या खराड़ी, परिसमापक।

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2025—पौष 13, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)